न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
67/2025	10.03.2025	19.06.2025

1. आशीष पुत्र भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी 9/124, बावडी का बास, सीटीएस बस स्टेण्ड के पास, सांगानेर, जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र हरिनारायण
2. नवरतन पुत्र हरिनारायण
3. मंजू पुत्री हरिनारायण
   समस्त जाति गुर्जर निवासीयान मकान नं0 24, गुर्जरो के बगीची, इन्दिरा बाजार, जयपुर।
4. रामस्वरूप पुत्र रामू जाति गुर्जर निवासी ग्राम लाली, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
5. राजू देवी पत्नीं भंवरलाल
6. हर्ष पुत्र भंवरलाल
7. बाबू पुत्र भंवरलाल
8. खुशी पुत्री भंवरलाल
   समस्त जाति गुर्जर निवासीयान ग्राम लाली तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
10. उप पंजीयक जमवारामगढ महोदय तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक
श्री नीरज डांगरवाडा :– वकील वादी।
श्री किशनलाल :– वकील प्रतिवादी सं0 1 लगायत 8

दावा बाबत् घोषणा खातेदार एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी की ओर से एडवोकेट श्री नीरज डांगरवाडा ने यह वाद इन कथनो के आधार पर पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 8 की संयुक्त खातेदारी पैतृक भूमि ग्राम लाली, पटवार हल्का जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 158 रकबा 0.0100है0 किस्म गै0मु0चाह व खसरा नम्बर 159 रकबा 1.7300है0 किस्म चाही 3 कुल किता 2 कुल रकबा 1.7400है0 स्थित है। जिसमें प्रतिवादी सं0 1 व 2 का हिस्सा 7/36–7/36, प्रतिवादी सं0 3 का हि0 1/9 एवं प्रतिवादी सं0 4 का हिस्सा 1/2 मुताबिक राजस्व रिकार्ड दर्ज है। वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 हि0 7/36 राजस्व रिकार्ड में दर्ज इन्द्राज है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि वादी के दादा हरिनारायण की उसके पिता रामू से प्राप्त पैतृक भूमि है जिसमें वर्तमान वादी के पिता हरिनारायण का नाम दर्ज इन्द्राज है वादी एवं प्रतिवादी सं0 5 ता 8 उक्त भूमि पैतृक सम्पत्ति होने के कारण उक्त भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के साथ बराबर–बराबर हक अधिकार व हिस्सा रखते है उक्त भूमि में प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा 7/36 है इस प्रकार वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 5 लगायत 8 हिस्सा उक्त भूमि में पैतृक होने के कारण 7/216–7/216 हिस्सा कानूनन बनता है जिसमें

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला–जयपुर

अपने हिस्से 7/216 भूमि का खातेदार है। प्रतिवादी सं0 1 उक्त विवादग्रस्त भूमि जो कि उसके स्वयं के नाम है का नाजायज फायदा उठाकर अन्य प्रभावशाली व भूमाफियां व्यक्तियों से मिलकर उक्त विवादग्रस्त भूमि को बेचान करने व खुर्द बुर्द करने पर उतारू है तथा मौके पर निर्माण करने का उतारू है। जिसका प्रतिवादी सं0 1 को कोई अधिकार नही है क्योकि उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगंण की शामलाती खातेदारी भूमि है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 के साथ वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 5 लगायत 8 का बराबर–बराबर हक हिस्सा है जो कि कानूनन प्रत्येक का हिस्सा 7/216–7/216 है। अतः उक्त वादग्रस्त भूमि सम्पूर्ण में वादी को उसके कानूनन हिस्से 7/216 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने की डिक्री पारित करने के आदेश प्रदान करें एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि विवादग्रस्त पैतृक भूमि में तब तक वादी के खातेदारी अधिकारों की घोषणा नही हो जावे तब तक किसी दीगर व्यक्ति संस्था आदि को बेचान न तो स्वयं करे न ही किसी अपने सर्वेन्ट एजेन्ट से करवाये एवं उक्त भूमि पर किसी प्रकार का पक्का कच्चा निर्माण कार्य न तो स्वयं करने न अपने किसी सर्वेन्ट एजेन्ट से करवाये।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 लगायत 8 की ओर से एड0 श्री किशलाल ने वकानतनामा व जवाब दावा पेश किया। जो शामिल मिसल है। वकील प्रतिवादी सं0 1 लगायत 8 ने जवाब दावे में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमियां ग्राम लाली, पटवार हल्का जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 158, 159 कुल किता 2 कुल रकबा 1.7400है0 है। मद सं0 2 में दर्शित सजरा स्वीकार है। मद सं0 6 में मांगा गया अपना हिस्सा 7/216 वादी को दिया जाता है तो हमे कोई एतराज नही है। अतः उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी सं0 1 भंवरलाल पुत्र हरिनारायण के नाम दर्ज हिस्सा 7/36 में से वादी को हिस्सा 7/216 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें एवं शेष हिस्सा 35/216 भाग प्रतिवादी सं0 1 खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

बहस वकील उभय पक्षों की सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध वाद पत्र, जवाब दावा एवं अन्य दस्तावेजो का अवलोकन किया। बहस का मनन करने व पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि प्रतिवादी सं0 1 लगायत 8 ने अपने जवाब दावे में सहमति दी है कि वादांकित भूमि ग्राम लाली, तहसील जवमारामगढ, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 158, 159 कुल किता 2 कुल रकबा 1.7400है0 में प्रतिवादी सं0 1 भंरवलाल पुत्र हरिनारायण के नाम दर्ज हिस्से 7/36 में से वादी को हिस्सा 7/216 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष हिस्सा 35/216 भाग का प्रतिवादी सं0 1 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तो कोई आपत्ति नही है। अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा वादी को वादांकित भूमि ग्राम लाली, तहसील जवमारामगढ, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 158, 159 कुल किता 2 कुल रकबा 1.7400है0 में हिस्सा 7/216 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में वादी को हैरान परेशान ना तो स्वयं करें, ना ही अपने ऐजेन्ट या अन्य से करावें। निर्णयानुसार डिक्री जारी हो एवं पालनार्थ तहसीलदार को पत्र जारी हो। तदानुसार डिक्री जारी हों।

निणय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 19.06..2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
जिला-जयपुर
जमवारामगढ